रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2003/अग्रहायण 19, 1925
No. 292] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2003/AGRAHAYANA 19, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2003

सं. 36(आर ई-03)/2002—2007

फा. सं. 01/94/180/18/पीएन/एएम-04/पीसी-IV.—निर्यात और आयात नीति, 2002—2007 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, प्रक्रिया प्रस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. परिशिष्ट-17 के चार्टर्ड एकाउंटेंट/कास्ट एण्ड वकर्स एकाउंटेंट, कम्पनी सचिव के प्रमाणपत्र के तहत क्रम सं0 (9) की दूसरी पंक्ति में उल्लिखित "औसत" शब्द को हटा दिया गया है ।

2. प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 3.2.2 के अनुसार, निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 3.7.2 के अनुसार स्तर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कम्पनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय द्वारा तथा अन्य मामलों में मुख्यालय द्वारा दाखिल किया जाएगा । प्रशासनिक सुविधा के अनुसार स्तर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय या निगमित कार्यालय द्वारा दाखिल करने की अनुमति के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इस मामले पर नीति प्रतिपादन समिति की बैठक में विचार किया गया था और इस अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, पैराग्राफ 3.2.2 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

> "ऐसे आवेदन कम्पनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय/निगमित कार्यालय द्वारा और अन्य मामलों में मुख्यालय द्वारा और अन्य मामलों में मुख्यालय द्वारा दाखिल किए जाएगें । कम्पनी के मामले में जहाँ आवेदक पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय/निगमित कार्यालय है, तो उसे (क) वैध आर सी एम सी की स्वतः प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी जहाँ पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय या निगमित कार्यालय का नाम दिया गया है

और (ख) मुख्यालय और निगमित कार्यालय (या पंजीकृत कार्यालय और निगमित कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय जैसी भी वस्तु स्थिति हो) से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि कम्पनी द्वारा स्तर प्रमाणपत्र के लिए हकदारी की अवधि हेतु पहले कोई ऐसा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।"

3. परिशिष्ट -29क में उड़ीसा राज्य के तहत क्रमांक-2 पर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखाओं का पता संशोधित करके "मेहताभ रोड, कटक-753001" पढ़ा जाए ।

4. परिशिष्ट-24 के क्रमांक-18 पर संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय का पता और सम्पर्क नम्बर संशोधित करके निम्नानुसार होंगे :-

18.	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय, चौथा तल, अमृता एस्टेट, नजदीक गिरनार सिनेमा, एम0 जी0 रोड, राजकोट- 360001, गुजरात	टेलीफोन : 0281-2458416/ 2458417 फैक्स - 0281-2458414 ई मेल - dgftraj@hotmail.com

5. अग्रिम लाइसेंस के मद्दे आयातित/प्राप्त किए गए निवेशों के अन्तः यूनिट स्थानान्तरण की अनुमति देने हेतु अभिवेदन प्राप्त हुए हैं । नीति प्रतिपादन समिति (पी आई सी) में मामले पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि एक ही कम्पनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कच्चे माल के स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाए । तदनुसार, निम्नानुसार एक नया उप-पैराग्राफ जोड दिया जाए :-

"4.4.5: मल्टी यूनिट कम्पनियों के मामले में अग्रिम लाइसेंस जारी करते समय क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को कम्पनी की विशेष यूनिट हेतु अपने तहत आयातित माल के प्रयोग की अनुमति देनी चाहिए तथा कम्पनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को किसी भी माल का स्थानान्तरण इन स्थानान्तरित निवेशों हेतु मोडवैट/सेनवैट के लाभ का दावा नहीं किया जाएगा, की स्पष्ट सहमति के साथ उत्पाद कर प्राधिकारियों की अनुमति से किया जाएगा ।"

6. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.35.5 के अन्त में निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी:

"यदि आयातित माल का पुनः निर्यात करना है तो स्थानान्तरण के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि, पुनः निर्यात आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के तहत यथापेक्षित सभी शर्तों, या लाइसेंस की आवश्यकता या अनुमति के अनुसार होगा ।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

3678

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th December, 2003

No. 36 (RE-03)/2002—2007

F.No. 01/94/180/18/PN/AM-04/PC-IV.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2002—2007, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1) :

1. The word "average" appearing in second line of Sl. No. (ix) under the certificate of Chartered Accountant/Cost & Works Accountant, Company Secretary of Appendix 17 stands deleted.

2. In terms of Paragraph 3.2.2 of Handbook of Procedure (Vol.I), the application for status certificate in terms of Paragraph 3.7.2 of Exim Policy is required to be filed by the Registered Office in the case of a Company and Head Office in case of others. Representations have been received for allowing to file the status certificate application by either the Registered Office or Head Office or Corporate Office as per administrative convenience. The matter was deliberated in the Policy Interpretation Committee (PIC) meeting and it was decided to accept the request. Accordingly, Paragraph 3.2.2 of the Handbook is amended as follows: -

> "Such application shall be made by the Registered Office/Head Office/Corporate Office in the case of a Company and Head Office in case of others. Where the applicant is the Registered Office/Head Office/Corporate Office in case of a Company, it shall furnish (a) Self certified copy of valid RCMC where the name of the Registered Office or Head Office or Corporate Office is given and (b) A disclaimer from the Head Office and Corporate Office (or Registered Office and Corporate Office or Registered Office and Head Office as the case may be) that no such application has been filed by the Company earlier against the period of entitlement for the status certificate."

3678

3. The address of the authorised branches of Central Bank of India at Sl.No.2 under the State Orissa in Appendix-29A may be amended to read as "Mahatabh Road, Cuttack-753001."

4. The address and the contact numbers of the office of Jt.DGFT, Rajkot at S.No. 18 of Appendix-24 may be amended as follows:-

18.	The Jt.Director General of Foreign Trade 4th floor, Amruta Estate, Near Girnar Cinema, M.G.Road, Rajkot-360001 Gujarat	Tel: 0281-2458416/2458417 Fax: 0281-2458414 E-mail:jdgftraj@hotmail.com	

5. Representations have been received to allow inter unit transfer of the inputs imported/ procured against advance licence. The matter was deliberated upon in the Policy Interpretation Committee (PIC) and it was decided to allow transfer of raw material from one unit to another unit of the same company. Accordingly, a new Sub-paragraph may be incorporated as follows:

> "4.4.5: While issuing advance licences in case of multi unit companies, the RLAs should endorse the use of material imported thereunder for a particular unit of a company and transfer of any material from one unit of the company to another unit of the same company shall be done with the permission of Excise Authorities with a clear understanding that no benefit of MODVAT/CENVAT shall be claimed on such transferred inputs."

6. At the end of Paragraph 2.35.5 of Handbook of Procedure, the following clause shall be added:

> "No permission for transfer will be required in case the imported goods are re-exported. However, the re-export shall be subject to all conditionality, or requirement of licence, or permission, as may be required under Schedule II of ITC(HS) Classification.".

This issues in the Public interest.

3678

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.